प्रेस नोट
दिनांक 09.08.2026

थाना परसपुर पुलिस द्वारा मारपीट करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0– 264/2026, धारा 115(2), 352, 351(3), 117(3) बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त– ननके कोरी पुत्र रामसमुझ, निवासी ग्राम भगनीपुरवा राजापुर, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 12.06.2026 को वादी राजकुमार पुत्र सदल निवासी ग्राम राजापुर भगनी पुरवा, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा द्वारा थाना परसपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 11.06.2026 को रात्रि करीब 09:00 बजे विपक्षीगण ननके पुत्र रामसमुझ, कल्पू पुत्र रामसमुझ, सियाराम पुत्र रामसमुझ एवं झिंगुर पुत्र खिलावन, निवासीगण उपरोक्त, शराब के नशे में वादी को गाली–गलौज देते हुए लाठी–डण्डा, मुक्का एवं थप्पड़ से मारने–पीटने लगे। वादी के शोर मचाने पर बचाने आयीं उसकी पत्नी आशा एवं उसके भाई की पत्नी गीता के साथ भी विपक्षीगण द्वारा मारपीट की गयी। हल्ला–गुहार होने पर विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना परसपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 09.08.2026 को थाना परसपुर पुलिस द्वारा घटना में संलिप्त आरोपी अभियुक्त– ननके कोरी पुत्र रामसमुझ, निवासी ग्राम भगनीपुरवा राजापुर, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तग के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. ननके कोरी पुत्र रामसमुझ, निवासी ग्राम भगनीपुरवा राजापुर, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0– 264/2026, धारा 115(2), 352, 351(3), 117(3) बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 अमन कन्नौजिया
02. कां0 राहुल पटेल

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 09.08.2026

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा CEIR पोर्टल की मदद से 07 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को किया गया सुपुर्द

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में, **अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी/नोडल अधिकारी CEIR पोर्टल श्री अजीत कुमार रजक** एवं **क्षेत्राधिकारी तरबगंज डॉ0 उमेश्वर प्रभात सिंह** के कुशल पर्यवेक्षण में थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा CEIR पोर्टल का प्रभावी उपयोग करते हुए विभिन्न तिथियों में गुम/खोए हुए **07 अदद मोबाइल फोन बरामद** किए गए। प्रभारी निरीक्षक थाना वजीरगंज द्वारा गठित पुलिस टीम ने CEIR पोर्टल के माध्यम से तकनीकी जानकारी प्राप्त कर मोबाइल फोनों को बरामद किया। बरामद मोबाइल फोनों की कुल अनुमानित कीमत लगभग **₹1,01,500/- (एक लाख एक हजार पांच सौ रुपये)** है। बरामद मोबाइल फोन उनके वास्तविक स्वामियों को सकुशल सुपुर्द किए गए।

बरामद मोबाइल फोन का विवरण

1. **POCO C95** – स्वेता पत्नी दिलीप, निवासी खजुरिया, थाना कोतवाली देहात, जनपद सीतापुर।
2. **SAMSUNG** – राम नरेश यादव पुत्र भगौती प्रसाद, निवासी होल्लापुर, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा।
3. **SAMSUNG A-3 CARE** – राम जनम पुत्र ओमप्रकाश, निवासी बहादुरा खास, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा।
4. **SAMSUNG GALAXY** – मालती पाण्डेय पत्नी राम कुमार पाण्डेय, निवासी जगदीशपुर कटरा, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा।
5. **INFINIX** – लनसार हुसैन पुत्र अब्दुल हुसैन, निवासी जमुनहा मझरेती, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा।
6. **NARZO** – पप्पू यादव पुत्र लसयाराम यादव, निवासी दरबारीपुरवा गेडसर, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा।
7. **OPPO** – विपिन सिंह

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. **ASI श्री कृष्ण कुमार शर्मा**
2. **मुख्य आरक्षी उत्तम शर्मा**, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।